



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / ए.एस.आई. / 2026 / 403

दिनांक 21/09/2026

सूचना

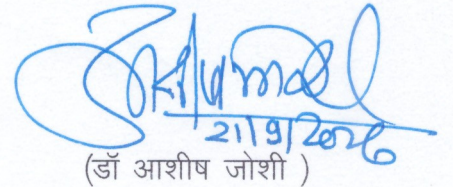
विषय: **BCA** पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं द्वारा **AICTE** अनुमोदन प्रमाण-पत्र जमा करने के संबंध में।

BCA पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त संबद्ध संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जिन संस्थाओं द्वारा **AICTE** का अनुमोदन प्रमाण-पत्र (**Approval Certificate**) अभी तक विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया है, वे अपना AICTE अनुमोदन प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में दिनांक 25/09/2026 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

अतः सभी संबंधित संस्थाएँ उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार



(डॉ आशीष जोशी)

निदेशक

सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएं विभाग,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल